REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240343 CG-DL-E-16112022-240343

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5109]नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 2022/कार्तिक 25, 1944No. 5109]NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2022/KARTIKA 25, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

का.आ. 5335(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 दिसम्बर, 2022 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध, अर्थात्:—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83,

तमिलनाडु राज्य के डिंडिगूल जिले के सभी क्षेत्रों में, उक्त जिले के पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त प्रवृत होंगे।

[फा. सं. एस–38013 / 11 / 2022–एसएस-I]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2022

S.O. 5335(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of December, 2022, as the date on which the provisions of the said Act, namely:-

- (i) sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come force in all the areas of Dindigul district, in addition to the already notified areas of the said district, in the State of Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/11/2022-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser